

उत्तर प्रदेश सरकार
नियुक्ति अनुभाग-4
संख्या: 1342 /दो-4-2001-32121/98 टीसी
लढानऊ: दिनांक 11 अग्रेल, 2003

Report 134

विज्ञापित /नियुक्ति

शासन के पत्र संख्या - 1511/दो-4-2001-32121/98 टीसी दिनांक

17-5-2001 के अनुक्रम में लोक सेवा आयोग उ0प्र0 द्वारा आयोजित उ0प्र0 न्यायिक सेवा में भर्ती हेतु आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा-1999 के आधार पर आयोग की संस्तुति के आधार पर निम्न 12 अभ्यर्थियों को सिविल जज। जूडि०। के पद पर निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

- 111 यह नियुक्ति औपबन्धाक स्म से इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उनके बन्धा में कराये जा रहे चरित्र एवं पूर्वावृत्त सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में न पाया जाय ।
- 121 राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा उन्हें उक्त पद पर नियुक्ति हेतु शारीरिक एवं मानसिक स्म से स्वस्थ पाया गया हो और कोई ऐसा प्रतिकूल तथ्य न पाया हो जिससे वे सरकारी सेवा के लिए अनुपयुक्त समझे जाय ।
- 131 यह नियुक्ति अनन्तिम होगी तथा मा० उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या-6429/2002 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका सं० 15768/2001 श्रीमती मंजुला सरकार तथा अन्य बनाम हरेन्द्र बहादुर सिंह तथा अन्य एवं विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-18822 एवं 18824/2001 में पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी ।

2- इन अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के सम्बन्धा में पृथक से यथा सम्य आदेशा निर्गत किये जायेगे ।

- 1- श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी
- 2- श्री एहसानुल्लाह खान
- 3- श्री संजीव कुमार सिंह
- 4- श्री हरेन्द्र बहादुर सिंह
- 5- श्री महाबीर सिंह
- 6- श्री ज्ञान प्रकाश सिंह
- 7- श्री राजेश भारद्वाज
- 8- श्री अरविन्द कुमार मिश्रा
- 9- श्री अखिलेश कुमार पाण्डेय
- 10- श्री विजयचन्द्र यादव
- 11- श्री चन्द्र शोहर
- 12- श्री डीशतथाम अली

राजेन्द्र भौनवाल ।
प्रमुखा सचिव

संख्या: 1342 III/दो-4-2001 तददिनांक

लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

निदेशक, मुद्रण लेखन सामग्री, उ०प्र० इलाहाबाद को उ०प्र० गजट के आगामी हिन्दी तथा उर्दू अंक में प्रकाशनार्थ ।

2- महर्षि निबंधाक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद को मा० उच्च न्यायालय के पत्र संख्या- 724/सीएनएन-(ए-3) दिनांक 21-01-2003 के संदर्भ में इस विज्ञापित की 12 प्रतियों तथा संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्ररीक्षा में सम्मिलित होने हेतु भरे गये आवेदन पत्रों एवं उनके सलगनको सहित इस आशय से प्रेषित कि कृपया इन अभ्यर्थियों को अपने स्तर से तैनात कर अवगत कराने का कष्ट करे ।

सचिव लोक सेवा आयोग, उ०प्र० इलाहाबाद के पत्र संख्या 129/1/ई-5-99-2000 दिनांक 5-9-2001 के संदर्भ में ।

4- संयुक्त निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ०प्र० शिविर कार्यालय नवीन कोषागार भवन इलाहाबाद ।

5- निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान उ०प्र० गोमतीनगर लखनऊ ।

7- प्रमुखा सचिव, न्याय/संसदीय/विधायी विभाग एवं विधि परामर्शी उ०प्र० शासन ।

8- न्याय अधीनस्थ न्यायालय अनुभाग-1

संबंधित अभ्यर्थियों को इस निर्देश सहित प्रेषित कि वह अपनी तैनाती के संबंध में निबंधाक उच्च न्यायालय इलाहाबाद से तत्काल सम्पर्क स्थापित करें ।

अभ्यर्थी जब तक सिविल जज-1 जू०डि० के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं हो जाता है तब तक अस्थायी कर्मचारियों पर लागू शासकीय अधिसूचना संख्या-20/1/74 नियुक्ति-3, दिनांक 11 जून, 1975 में दी गयी शर्तों के अधीन रहेंगे । अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता अनुमत्य नहीं होगा ।

आज्ञा से,
जय प्रकाश पाल
अनु सचिव

आज्ञा से,
जय प्रकाश पाल
अनु सचिव

प्रेषक,

श्री अमर प्रताप सिंह
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महा निदेशक, अभियोजन, उ०प्र०,
लखनऊ।

August 13/03

गृह।पुलिस। अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक 9 मई, 2003

विषय: उ०प्र० न्यायिक सेवा परीक्षा, 1999 के आधार पर सिविल जज
।जू०डि०। के पद पर चयन होने के फलस्वरूप श्री चन्द्र शेखर एवं
श्री रहमानुल्लाह खान, सहायक अभियोजन अधिकारियों को कार्यभार
ग्रहण करने हेतु अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एक-डि०-136-9611181/2872/
02, दिनांक 25 अप्रैल, 03 तथा पत्र संख्या-136-961421/2937/02, दिनांक
29 अप्रैल, 2003 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र०
न्यायिक सेवा परीक्षा, 1999 के आधार पर सिविल जज।जू०डि०। के पद पर
चयन हो जाने के फलस्वरूप श्री चन्द्र शेखर, सहायक अभियोजन अधिकारी,
इटावा तथा श्री रहमानुल्लाह खान, सहायक अभियोजन अधिकारी, आजमगढ़
को इस शर्त के साथ नियमानुसार अवमुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की
जाती है कि इनका अभियोजन विभाग में सहायक अभियोजन अधिकारी के
पद पर कोई धारणाधिकार न लिये जाये। नहीं रहेगा।

कृपया तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

श्री अमर प्रताप सिंह
उप सचिव।

कार्यालय वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, इटावा।
पत्रांक: अभि-ई-पीएफ-लेखा-5। 181/2003/10 दिनांक: मई 17, 2003 (3)
कार्यमुक्ति आदेश

अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक: एक-दो-176-98
1181/3296/03 दिनांकित: 13-5-2003 एवं शासनआदेश संख्या: 1331/छ:-पु0
-9-3। 11071/1999 गृह पुलिस। अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक: 9-5-2003 के द्वारा
श्री चन्द्र शेखर, सहायक अभियोजन अधिकारी, इटावा का चयन "सिविल जज जू0डि0"
के पद पर हो जाने के फलस्वरूप अभियोजन विभाग से कार्यमुक्त किए जाने की अनुमति
प्रदान की गई है तथा यह भी अंकित किया गया है कि कार्यमुक्ति के उपरान्त सहा0
अभियोजन अधिकारी के पद पर अभियोजन विभाग में कोई धरणाधिकार लिये
नहीं रहेगा।

शासकीय/विभागीय अनुमति के उपरान्त श्री चन्द्र शेखर, सहायक अभियोजन
अधिकारी को आज दिनांक: 17, मई 2003 को ^{पुलिस} में अभियोजन विभाग से
नवनियुक्ति पर योगदान कि ए जाने हेतु कार्यमुक्त किया जाता है।

मुक्त अधिकारी

चन्द्र शेखर
श्री चन्द्र शेखर
सहायक अभियोजन अधिकारी
इटावा।

मोचक अधिकारी

सहायक अभियोजन अधिकारी
इटावा।

प्रतिहस्ताक्षरित

नित्या नन्द श्रीवास्तव
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी,
इटावा।

प्रतिलिपि:- पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।
निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक की खाही हेतु।

- 1- निदेशक अभियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मुख्य निदेशक अभियोजन, कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर।
- 3- जिला मजिस्ट्रेट, इटावा।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, इटावा।
- 5- श्री अमर प्रताप सिंह, उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 6- मा0 रजिस्ट्रार, नियुक्ति अनुभाग, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 7- जनपद न्यायाधीश, जनपद मुल्तानपुर।
- 8- श्री चन्द्रशेखर, कार्यमुक्त ए.पी.ओ.।
- 9- श्री ^{11071/1999}।
- 10- अपर जिला मजिस्ट्रेट, इटावा।
- 11- संबंधित सहायक।

नित्या नन्द श्रीवास्तव
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी
इटावा।

NO. 106 /DR(S)/2003

Pursuant to U.P. Government Notification/Appointment No. 1342/II-4-2001-32(2)/98 T.C. dated April 11, 2003 Sri Akhilesh Kumar Pandey, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Jaunpur in the vacant court.

NO. 107 /DR(S)/2003

Pursuant to U.P. Government Notification/Appointment No. 1342/II-4-2001-32(2)/98 T.C. dated April 11, 2003 Sri Vijay Chand Yadav, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Rae Bareilly in the vacant court.

NO. 108 /DR(S)/2003

Pursuant to U.P. Government Notification/Appointment No. 1342/II-4-2001-32(2)/98 T.C. dated April 11, 2003 Sri Chandra Shekhar, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Sultanpur in the vacant court.

NO. 109 /DR(S)/2003

Pursuant to U.P. Government Notification/Appointment No. 1342/II-4-2001-32(2)/98 T.C. dated April 11, 2003 Sri Ishtiaq Ali, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Etawah in the vacant court.

BY ORDER OF THE COURT,

O. N. KHANDELWAL
REGISTRAR GENERAL

No. 61 /DR(S)/ 2003, Dated: Allahabad: April 22, 2003.

Copy forwarded for information & necessary action to:

1. Pramukh Sachiv, U.P Shasan, Niyukti Vibhag, Lucknow.
2. Pramukh Sachiv, Nyaya & Vidhaye Vibhag, U.P. Shasan, Lucknow.
3. The Executive Chairman, U.P.State Legal Services Authority, Third Floor, Jawahar Bhawan Annexe, Lucknow-226001.
4. The Director, Institute of Judicial Training & Research, Vineet Khand, Gomti Nagar, U.P.Lucknow along with photo copy of Government Notification/ Appointment No. 1342/II-4-2001-32(2)/98 T.C. dated April 11, 2003 .
5. The Joint Director (Treasuries), Camp Officer, First Floor, Treasury Building, Kutchery Road, Allahabad along with photo copy of Government Notification/ Appointment No. 1342/II-4-2001-32(2)/98 T.C. dated April 11, 2003 .
6. The Publication Secretary at Association Office A-1, River Bank, Judges Colony, Lucknow.
7. The District & Sessions Judges, Fatehpur, Ballia, Kheri, Kanpur Dehat, Budlaun, Mau, Pilibhit, Ghazipur, Jaunpur, Rae Bareilly, Sultanpur and Etawah with reference to U.P. Government Notification/Appointment No. 1342/II-4-2001-32(2)/98 T.C. dated April 11, 2003 (photo copy enclosed).

The candidates Civil Judge, Junior Division mentioned above may be permitted to join their duties in your Judgeships of their postings.

The certificates of taking over charge by the aforesaid candidates Civil Judge, Junior Division may please be sent to the Deputy Registrar (Services) High Court

उत्तर प्रदेश सरकार
नियुक्ति अनुभाग-4
संख्या: 1342 /दो-4-2001-32121/98 टीसी
लखनऊ: दिनांक 11 अप्रैल, 2003

Report 134

विज्ञापित /नियुक्ति

शासन के पत्र संख्या - 1511/दो-4-2001-32121/98 टीसी दिनांक

17-5-2001 के अनुक्रम में लोक सेवा आयोग उ०प्र० द्वारा आयोजित उ०प्र० न्यायिक सेवा में भर्ती हेतु आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा-1999 के आधार पर आयोग की संस्तुति के आधार पर निम्न 12 अभ्यर्थियों को तिविल जज। जूडि०। के पद पर निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

- 111 यह नियुक्ति औपबंधिक स्म से इस प्रतिबंध के अधीन है कि उनके संबंध में कराये जा रहे चरित्र एवं भूबाबत सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में न पाया जाय ।
- 121 राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा उन्हें उक्त पद पर नियुक्ति हेतु शारीरिक एवं मानसिक स्म से स्वस्थ पाया गया हो और कोई ऐसा प्रतिकूल तथ्य न पाया हो जिससे वे सरकारी सेवा के लिए अनुपयुक्त समझे जाय ।
- 131 यह नियुक्ति अनन्तिम होगी तथा मा० उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन तिविल अपील संख्या-6429/2002 तथा विशेष अनुज्ञा या चिका सं० 15768/2001 श्रीमती गजुला सरकार तथा अन्य बनाम हरेन्द्र बहादुर सिंह तथा अन्य एवं विशेष अनुज्ञा या चिका संख्या-18822 एवं 18824/2001 में पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी ।

2- इन अभ्यर्थियों को ज्येष्ठता के सम्बन्ध में पृथक से यथा सम्य आदेशा निर्गत किये जायेंगे ।

- 1- श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी
- 2- श्री एहसानुल्लाह खान
- 3- श्री संजीव कुमार सिंह
- 4- श्री हरेन्द्र बहादुर सिंह
- 5- श्री महाबोर सिंह
- 6- श्री ज्ञान प्रकाश सिंह
- 7- श्री राजेश भारदाज
- 8- श्री अरविन्द कुमार मिश्रा
- 9- श्री अखिलेश कुमार पाण्डेय
- 10- श्री विजयचन्द्र यादव
- 11- श्री चन्द्र शोहर
- 12- श्री इशतयास अली

। राजेन्द्र भागवाल ।
प्रमुखा स्वीचम

संख्या: 1342 111/दो-4-2001 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, मुद्रण लेखन सामग्री, उ०प्र० इलाहाबाद को उ०प्र० गजट के आर्जीमी हिन्दी तथा उर्दू अंक में प्रकाशनार्थ ।
 - 2- महानिबंधक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद को मा० उच्च न्यायालय के पत्र संख्या- 724/सीएनएन-(ए-3) दिनांक 21-01-2003 के संदर्भों में इस विज्ञापित की 12 प्रतियों तथा संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्ररीक्षा में सम्मिलित होने हेतु भरे गये आवेदन प्रपत्रों एवं उनके सलगनको सहित इस आशय से प्रेषित कि कृपया इन अभ्यर्थियों को अपने स्तर से तैनात कर अवगत कराने का कष्ट करे ।
 - 3- सचिव लोक सेवा आयोग, उ०प्र० इलाहाबाद के पत्र संख्या 129/1/ई-5-99-2000 दिनांक 5-9-2001 के संदर्भों में ।
 - 4- संयुक्त निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ०प्र० शिविर कार्यालय नवीन कोषागार भवन इलाहाबाद ।
 - 5- निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान उ०प्र० गोमतीनगर लखनऊ ।
 - 7- प्रमुखा सचिव, न्याय/संसदीय/विधायी विभाग एवं प्रविधि परामर्शी उ०प्र० शासन ।
 - 8- न्याय अधीनस्था न्यायालय अनुभाग-1
- संबंधित अभ्यर्थियों को इस निर्देश सहित प्रेषित कि वह अपनी तैनाती के संबंध में निबंधक उच्च न्यायालय इलाहाबाद से तत्काल सम्पर्क स्थापित करें ।

अभ्यर्थी जब तक सिविल जज-1 जू० डि० के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं हो जाता है तब तक अस्थायी कर्मचारियों पर लागू शासकीय अधिसूचना संख्या-20/1/74-नियुक्ति-3, दिनांक 11 जून, 1975 में दी गयी शर्तों के अधीन रहेंगे। अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा ।

आज्ञा से,

। जय प्रकाश पाल ।

अनु सचिव ।।

प्रेषक,

श्री अमर प्रताप सिंह
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Page 139

सेवा में,

महा निदेशक, अभियोजन, उ०प्र०,
लखनऊ।

गृह।पुलिस। अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक 9 मई, 2003

विषय: उ०प्र० न्यायिक सेवा परीक्षा, 1999 के आधार पर सिविल जज
।जू०डि०। के पद पर चयन होने के फलस्वरूप श्री चन्द्र शेखर एवं
श्री रहमानुल्लाह खान, सहायक अभियोजन अधिकारियों को कार्यभार
ग्रहण करने हेतु अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एक-दो-136-9611181/2872/
02, दिनांक 25 अप्रैल, 03 तथा पत्र संख्या-136-961421/2937/02, दिनांक
29 अप्रैल, 2003 के तन्मूर्त में जो यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र०
न्यायिक सेवा परीक्षा, 1999 के आधार पर सिविल जज।जू०डि०। के पद पर
चयन हो जाने के फलस्वरूप श्री चन्द्र शेखर, सहायक अभियोजन अधिकारी,
इटावा तथा श्री रहमानुल्लाह खान, सहायक अभियोजन अधिकारी, आजमगढ़
को इस शर्त के साथ नियमानुसार अवमुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की
जाती है कि इनका अभियोजन विभाग में सहायक अभियोजन अधिकारी के
पद पर कोई धारणाधिकार ।लिन। नहीं रहेगा।

कृपया तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

श्री अमर प्रताप सिंह ।
उप सचिव ।

कार्यालय वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, इटावा।
पत्रांक: अभि-ई-पीएफ-लेखा-5। 181/2003/17 दिनांक: मई 17, 2003
कार्यमुक्ति आदेश

अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक: एक-दो-136-98
11181/3296/03 दिनांकित: 13-5-2003 एवं शासनादेश संख्या: 1331/छ:-पु0
-9-3। 11071/1999 गृह पुलिस अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक: 9-5-2003 के द्वारा
श्री चन्द्र शेखर, सहायक अभियोजन अधिकारी, इटावा का चयन "सिविल जज जू0डि0"
के पद पर हो जाने के फलस्वरूप अभियोजन विभाग से कार्यमुक्त किए जाने की अनुमति
प्रदान की गई है तथा यह भी अंकित किया गया है कि कार्यमुक्ति के उपरान्त सहा0
अभियोजन अधिकारी के पद पर अभियोजन विभाग में कोई धरणाधिकार लिये
नहीं रहेगा।

शासकीय/विभागीय अनुमति के उपरान्त श्री चन्द्र शेखर, सहायक अभियोजन
अधिकारी को आज दिनांक: 17, मई 2003 को ^{आदेश} में अभियोजन विभाग से
नवनियुक्ति पर योगदान कि ए जाने हेतु कार्यमुक्त किया जाता है।

मुक्त अधिकारी

चन्द्र शेखर

श्री चन्द्र शेखर
सहायक अभियोजन अधिकारी
इटावा।

मोचक अधिकारी

सहायक अभियोजन अधिकारी
इटावा।

प्रतिहस्ताक्षरित

नित्या नन्द श्रीवास्तव
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी,
इटावा।

प्रतिलिपि:- पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।
निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- निदेशक अभियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- संयुक्त निदेशक अभियोजन, कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर।
- 3- जिला मजिस्ट्रेट, इटावा।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, इटावा।
- 5- श्री अमर प्रताप सिंह, उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 6- मा0 रजिस्ट्रार, नियुक्ति अनुभाग, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 7- जनपद न्यायाधीश, जनपद मुल्तानपुर।
- 8- श्री चन्द्रशेखर, कार्यमुक्त स. पी. ओ.।
- 9- श्री ^{11181/3296/03}।
- 10- अपर जिला मजिस्ट्रेट, इटावा।
- 11- संबंधित सहायक।

नित्या नन्द श्रीवास्तव
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी
इटावा।